2214

न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :–श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–316/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/316

अपीलाण्ट :– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

जगरूपसिंह पुत्र जवानजी, जाति राजपुरोहित, निवासी 608 आपकेश्वर मन्दिर गली रेवतडा, तहसील सायला जिला जालोर

1. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पुत्री गणेशाजी पत्नी हकमाराम जाति माली निवासी साथू हाल सियाणा तहसील व जिला जालोर।

2. अणसीदेवी पुत्री गणेशाजी पत्नी सुखरामजी सुन्देशा जाति माली निवासी सांथू हाल गणपति वार्ड वलारपुर (महाराष्ट्रा)

3. श्रीमती पिंकीदेवी पुत्री गणेशाजी पत्नी वागारामजी जाति माली निवासी साथू हाल सियाणा तहसील व जिला जालोर।

4. श्रीमती माफीदेवी पुत्री गणेशाजी पत्नी सवारामजी जाति माली निवासी सांथू हाल सियाणा तहसील व जिला जालोर।

5. श्रीमती उजीदेवी पुत्री गणेशजी पत्नी खुमारामजी जाति माली के साथी जहां –

5/1 नेमीचन्द पुत्र खुमारामजी

5/2 लक्ष्मण पुत्र खुमारामजी जाति माली निवासीगण सांथू हाल उम्मेदाबाद तहसील व जिला जालोर।

6. श्रीमती आशीदेवी उर्फ आशा पुत्री गणेशाजी पत्नी जवानाजी जाति माली निवासी सांथू हाल सियाणा तहसील व जिला जालोर।

7. डायाराम पुत्र गणेशाजी पत्नी वागारामजी जाति माली निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर।

8. देवाराम पुत्र गणेशाजी पत्नी वागारामजी जाति माली निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर।

9. छगना पुत्र गणेशाजी पत्नी वागारामजी जाति माली निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर।

10. भूरा पुत्र गणेशाजी पत्नी वागारामजी जाति माली निवासी सांथू तहसील व जिला

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

225

जालोर के कायम मुकाम

10/1 रंगूदेवी पत्नी भूराराम जाति माली

10/2 गोपाराम पुत्र भूराराम जाति माली

10/3 दीपाराम पुत्र भूराराम जाति माली

10/4 किशनाराम पुत्र भूराराम जाति माली

10/5 सुरेश कुमार पुत्र भूराराम जाति माली निवासीगण सांधू तहसील व जिला जालोर।

10/6 कमलादेवी पुत्री भूराराम पत्नी धनाराम जाति माली सांधू तहसील व जिला जालोर।

10/7 नारंगीदेवी पुत्री भूराराम पत्नी देशाराम जाति माली आकोली तहसील व जिला जालोर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जालोर।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 द्वितीय अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर प्रकरण संख्या–20/2023 तारीख फैसला–23–09–2024 बअनवान श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम श्रीमती उजी देवी के कायम मुकाम नेमीचन्द वगैरा</u>

उपस्थिति :–

1. श्री सतपाल पुरोहित विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2. श्री कानाराम सोलंकी ,विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांक: 24.12.2024

1. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 20/2023 निर्णय दिनांक 23.09.2024 बअनवान श्रीमती लक्ष्मी देवी बनाम श्रीमती उजी देवी के कायम मुकाम नेमीचन्द वगैरा से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यहअपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकुलाय सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

226

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलाण्टके अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 की अपील स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है तथा परिसीमा अधिनियम में नियत प्रावधानों को दरकिनार करते हुए जो आदेश पारित किया है वह हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के द्वारा अपने भाईयों व उनके पुत्रों के विरूद्ध नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की थी, अपील विचाराधीन थी तब दिनांक–28.08.2024 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बिना स्वयं SUO MOTO अपीलान्ट को पक्षकार से संयोजित किया गया था तथा संशोधित अनवान पेश करने का आदेश पारित किया था तथा अपीलान्ट की तलबी हेतु दिनांक 12.09.2024 को पत्रावली नियत की गयी थी। तारीख पेशी 12–09–2024 को सीधे ही अपीलान्ट की बहस सुनकर दिनांक–23.09.2024 को अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाते हुए नामान्तरणकरण संख्या 1595 दिनांक 07.06.1985 खारिज किये जाने का आदेश पारित किया था। अधिनस्थ न्यायलय ने अपीलान्ट को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश मनमर्जी से पारित किया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित रजिस्ट्री ए.डी. के नोटिस की प्रति अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुई थी। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा कानून की धज्जियां उडाते हुए दिनांक–23.09.2024 को जो निर्णय पारित किया था जो हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

अपीलान्ट निर्दोषकर्ता हैं। उक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या–262 रकबा 0.67 हैक्टर पूर्व में रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के सगे भाई रेस्पोडेन्ट संख्या–09 छर्गनाराम पुत्र गणेशाजी द्वारा अपने हिस्से की आराजी के बेचान महेन्द्र कुमार को किया था उसके पश्चात् महेन्द्र कुमार द्वारा उक्त आराजी का बेचान अरविन्द कुमार व विक्रमसिंह को किया था। विक्रमसिंह व अरविन्द्र कुमार द्वारा उक्त आराजी का बेचान रेस्पोडेन्ट डायाराम को किया था। डायाराम रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 का सगा भाई हैं। उसके द्वारा दिनांक–15–09–2023 को अपीलान्ट जगरूपसिंह को उक्त आराजी का बेचान किया था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 को शुरू से थी। उसके द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की गयी थी न ही उक्त बेचान दस्तावेज के संबंध में आज दिन तक सिविल न्यायाधीश में चुनौती नहीं दी गयी थी। अपीलान्ट जगरूपसिंह द्वारा उक्त खातेदारी भूमि खरीद करने के पश्चात् अपने हिस्से की आराजी पर चारों तरफ तारबंदी करवाई है जो आज भी मौके पर मौजूद हैं। इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनाक 23.09.2024 जो हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के द्वारा उक्त खातेदारी भूमि के संबंध में खातेदारी हक घोषणा का वाद वर्ष 2018 मे श्रीमान् सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 212 के तहत् स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें सहायक कलेक्टर द्वारा यथास्थिति का आदेश पारित किया तथा अधिनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

227

न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के अपील प्रस्तुत की उसमें वर्णित कथन पूर्णतया असत्य प्रतीत होते है क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत द्वारा वर्ष 2018 में दिनांक–09.07.2018 को खातेदारी हक घोषणा का वाद प्रस्तुत किया था तथा इनके द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक–25.08.2020 को अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया था। उक्त श्रीमान् सहायक कलेक्टर जालोर के न्यायालय में प्रस्तुत वाद को आज दिन तक वापिस बहाल नहीं करवाया था उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 द्वारा इसी भूमि के संबंध में बनावटी अपील तैयार करते हुए Date of knowledge अपनी मर्जी माफिक वर्णित करते हुए दिंनाक 16–06–2023 को वर्णित कथन इस प्रकार किया गया था कि "दिनांक–16.06.2023 को अपीलान्ट के भाई डायाराम पुत्र गणेशाजी ने अपीलान्ट को बताया कि अब उक्त आराजी में तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं हैं। इस जमीन का मैं एक मात्र मालिक हूं तब हम अपीलान्ट पटवार हल्का के पास उक्त आराजी कि जमाबंदी की जानकारी प्राप्त करते हेतु गये तब हम अपीलान्ट को पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने दिनांक 16.06.2023 को उक्त आराजी अरविन्द कुमार पुत्र हिम्मतमल जाति जैन निवासी आहोर व विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी आहोर से खरीद जरिये बेचान दस्तावेज के म्यूटेशन संख्या–1995 की नकल तहसील जालोर में दिनाक 10.07.2023 को प्राप्त करने आवेदन पेश किया तथा दिनांक–11.07.2023 में उक्त म्यूटेशन की नकल अपीलान्ट को प्राप्त हुई तथा पता चला कि नायब तहसीलदार जालोर द्वारा गणेशा पुत्र हीरका कि फौतगी का म्यूटेशन अपीलान्ट के नाम से नहीं भरकर अपीलान्ट के भाई भूराराम, देवाराम, डायाराम व छगनाराम के नाम से स्वीकृत किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 कि अपील म्याद बाहर होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपील स्वीकार करने में भारी कानूनी भूल की हैं। उक्त निर्णय हर सूरत में निरस्त योग्य हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपील में अपील पेश करने में 2344 दिनों का विलम्बा अपीलान्ट की निश्क्रीयता के आधार पर उधार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता हैं। प्रतिपादित किया था कि 2017, (1) RRT 117 SB Civil Second Appeal No- 336 of 212 Vs मेडतिया बनाम जोधाणा रियल स्टेट डवल्पमेन्ट कम्पनी प्रा. लि., इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किशोरी बनाम भरोसी दिनांक–05.09.2016, RRT Pg No- 787 में प्रतिपादित किया कि धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किए बिना किसी भी अपील का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक हैं, इसी प्रकार पी. के. रामचन्द्र बनाम स्टेट्स ऑफ केरला ए.आई. आर. 1998 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मत अभिनिर्धारित किया था। "Law of limitation may harshly effect a particular party but it has to be applied with all its rigor when the state so prescribed and the court have no power to eÛtend the period of limitation on equitable grounds the description eÛercise by the High court was does neither proper nor judicious the order condoning the delay cannot be sustained this appeal there for success and order is set aside consequently the application for condonation of delay field in the high courts would stand rejected no costs" माननीय उच्च न्यायालय ने परीसीमा के सिद्धान्त के बारे में उदार तरीके से काम में लिए जाने चाहिए परन्तु इसका यह मतलब नहीं होता है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर मुकदमें को सजगत वे लडे और दूसरे व्यक्ति के हक में पैदा हुए अधिकार का हनन करने का मौका सिर्फ इस आधार पर दिया जाये कि उसे ज्ञान नहीं था, सामियता दोनो पक्षकारों के बीच तय करना जरूरी होता हैं। उक्त न्याय

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

228

दृष्टान्तों से भली भांती मालुम पडता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 द्वारा प्रथम दृष्टया अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष म्यूटेशन संख्या 1595 दिनांक–07.06.1987 के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष छिपाया था। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 के अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वास्थ्य हाथों से उपस्थिति नहीं हुई थी उसके बावजूद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 की अपील स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में पारित ओदश 23.09.2024 हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिनांक– 23.09.2024 पारित किया है जो हर सूरत में निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा दिनांक–25–09–2023 को उक्त खातेदारी भूमि जरिये बेचान रजिस्ट्री खरीद की थी जिसके समस्त तथ्य एवं दस्तावेज साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्परोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत किया जा चुके थे, उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के हित को सुरक्षित रखते हुए निर्णय पारित नहीं किया था इस आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया हैं जो हर सूरत में निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 ने अधिनस्थ न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध म्यूटेशन संख्या–1595 सरहद मौजा सांथु तहसील जालोर द्वारा दिनाक 07.06.1987 नायब तहसील जालोर द्वारा म्यूटेशन स्वीकृत किया था उसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 ने अपील प्रस्तुत की थी जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा सांथू, पटवार हल्का–सांथू, भू.अभि.नि. क्षेत्र बाकरा रोड, तहसील व जिला जालोर के पुराने खसरा नम्बर–105 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर–259, 262 व 321 एवं पुराने खसरा नम्बर–1224 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर– 3232, 3233, 3226 इस प्रकार कुल रकबा 19 बीघा 12 बिस्वा की आराजी हम अपीलान्ट्स के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1/1 एवं 1/2 के नाना एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–2, 3, 4, व 5 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–6/1 के ससुर एवं 6/2 से 6/7 के दादा गणेशा पुत्र हीरका, जाति माली निवासी साथू तहसील व जिला जालोर के नाम की से खातेदारी आराजी आई हुई हैं थी। अपीलान्ट्स के पिता एवं माता की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलान्ट्स के भाई भूराराम व अपीलान्ट्स की बहिन उजी देवी की भी मृत्यु हो चुकी है. रेस्पोडेन्ट संख्या–1/1, 1/2 उजीदेवी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–6/1 से 6/7 भूराराम के विधिक वारिसान है तथा अपीलान्ट्स के पिता गणेशा एवं माता गेरोदेवी के अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स उजीदेवी, भूराराम, देवाराम, डायाराम, छगनाराम एवं आशीदेवी उसकी जीवित संतान थे तथा गणेशा पुत्र हीरका का स्वर्गवास होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित आराजी में फौतगी म्यूटेशन संख्या–1595 दिनांक 07.06.1987 को राजस्व अभियान मजमें आम में नायब तहसीलदार जालोर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–3, 4, 5, 6 के नाम बाले वाले भरा गया, जबकि उक्त आराजी में अपीलान्ट्स व रेस्पोडेण्ट हकदार व अधिकारी है, जबकि नायब तहसीलदार द्वारा जो म्यूटेशन संख्या–1595 रेस्पोडेन्ट्स देवाराम, भूराराम, डायाराम, छगनाराम के नाम से बिना जांच किये एवं बिना उत्तराधिकार प्रमाण पेश किये भरा गया है. जो म्यूटेशन प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। अपीलान्ट्स के पिता गणेशा पुत्र हीरका की मृत्यु के समय अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स वारिस थे तथा रेस्पोडेन्ट संख्या–7 द्वारा बिना जांच किये म्यूटेशन रेस्पोडेन्ट्स देवाराम, भूराराम, डायाराम, छगनाराम के नाम से भरा गया, जो बिना जांच किये

24.12.24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

229

भरा गया है, दिनांक 13.06.2023 को अपीलान्ट्स के भाई डायाराम पुत्र गणेशा ने अपीलान्ट्स को वताया कि अव उक्त आराजी में तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं है, इस जमीन का मैं एकमात्र मालिक हूँ, तव हम अपीलान्ट्स ने हल्का पटवारी के पास उक्त आराजी की जमावन्दी की जानकारी प्राप्त करने हेतु गये, तव हम अपीलान्ट्स को पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या–2 ने दिनांक 16.06.2023 को उक्त आराजी अरविन्द कुमार पुत्र हिम्मतमल, जाति जैन, निवासी आहोर एवं विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह, जाति राजपूत निवासी आहोर से खरीद जरिये बेचान दस्तावेज के की जिसकी म्यूटेशन संख्या–1595 की नकल तहसील जालोर में दिनांक 10.07.2023 को प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 11.07.2023 को उक्त म्यूटेशन की नकल अपीलान्ट्स को प्राप्त हुई तथा पता चला कि नायव तहसीलदार जालोर द्वारा गणेशा पुत्र हीरका की फौतगी का म्यूटेशन अपीलान्ट्स के नाम से नहीं भरकर अपीलान्ट्स के भाई भूराराम, देवाराम, डायाराम, छगनाराम के नाम से स्वीकृत किया है जो गलत आधारों पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी थी। उक्त अपील को रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये व उसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट डायाराम द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अपीलार्थी प्रार्थीगण का यह कथन की उन्हे दिनांक 11.07.2023 को अपील में प्रशनगत राजस्व ग्राम सांधू के नामान्तकरण सख्या 1595 दिनांक 07.06.1987 की नकल लेने पर पता चला यह तथ्य पुर्णत गलत होने से अस्वीकार है। जवाव है कि प्रार्थीया अपीलार्थीगण की सहमति से ही मौजा सांथू के नामान्तकरण संख्या 1595 के द्वारा मात्र श्री गणेशा पुत्र हीरकाजी की मात्र पुरूष सन्तानो के नाम से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था। इस अपील के प्रतिउत्तरदाता संख्या 05 छगनाराम पुत्र गणेशाजी जो की अपीलार्थीगण व प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 से 06 का भाई लगता है के द्वारा अपना हिस्सा महेन्द्र कुमार को बैचान करने व महेन्द्र कुमार द्वारा अपने नाम दर्ज हिस्से का आगे विक्रमसिंह पुत्र सुमेरसिंह व अरविन्द कुमार पुत्र हिम्मतमल को बैचान करने पर अपीलार्थीगण व प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा माननीय उप खण्ड अधिकारी जालोर के न्यायालय में एक दावा वावत खातेदारी हक घोषणा का दिनांक 09–07–2018 को प्रस्तुत किया व उसके साथ साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर उसमे एक तरफा स्थगन प्राप्त किया गया। मौजा साथू के नामान्तकरण संख्या 1595 व उसके द्वारा राजस्व अभिलेख में हुए परिवर्तन का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, ऐसी अवस्था में अपीलार्थीगण का यह कथन की उन्हें 11.07.2023 को नामान्तकरण संख्या 1595 का ज्ञान हुआ यह कथन पुर्णतः गलत है। प्रार्थीयागण अपीलार्थीयागण द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या 05 छगना द्वारा अपने हिस्से की आराजी का तृतिय पक्षकारो महेन्द्र कुमार को वैचान करने व महेन्द्र कुमार द्वारा अपने हिस्से का विक्रमसिंह व अरविन्द कुमार को बैचान कर देने पर अपीलार्थीयागण व प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा माननीय उप खण्ड अधिकारी जालोर के न्यायालय में एक वाद वास्ते खातेदारी हक घोषणा का पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी जालोर के न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 28/2018 अनवान उजीदेवी वगैरा बनाम भूरा वगैरा के अनवान से विचारित किया जा रहा था कि उस दौरान वादीगण द्वारा इस वाद के प्रतिवादी संख्या 7 व 8 से प्रतिफल प्राप्त कर इस वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज करवा दिया इसके पश्चात् प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 डायाराम द्वारा इस वाद में प्रतिवादी संख्या 07 विक्रमसिंह व प्रतिवादी संख्या 08 अरविन्द कुमार को प्रतिफल अदा कर छगनाराम का उन्हें बैचान से प्राप्त हिस्सा पुनः दिनांक 16.08.2023 को खरीद लिया जिसका दस्तावेज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

230

उपपंजीयक जालोर के कार्यालय में पुस्तक संख्या–1 जिल्द संख्या 870 में पृष्ठ संख्या 27 पर क्रम संख्या 202303104104555 दिनांक 16.08.2023 को पंजीकृत हो रखा है। प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 द्वारा प्रतिफल अदा कर अपने परिवार की बाहर बिकी खातेदारी भुमि पुनः खरिदने के सुकर्म से प्रतिउत्तरदातागण 04 से 06 को प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 से ईष्या होने लगी जिसके चलते उनके द्वारा अपीलार्थीयागण को उकसा कर व उन्हें लालच बता कर उनसे गलत तथ्य लिख कर व तथ्य छिपाते हुए यह अपील माननीय न्यायालय में पेश करवाई गई है व इस षडयन्त्र के अग्रसरण में अपीलार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत इस अपील के हर तथ्य को स्वीकार करते हुए जवाब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मौजा सांथू के नामान्तकरण संख्या 1595 वर्ष 07.06.1987 की अपीलार्थीगण को नामान्तकरण के समय ही भली भांती जानकारी थी। श्री गणेशा पुत्र हीरका की मृत्यु के पश्चात् अपीलार्थीयागण व प्रतिउत्तरदाता संख्या 01 व 02 समय समय पर अपने अपने सुसराल से अपने पीहर सांथू आती जाती रहती थी, जिसके चलते अपीलार्थीगण हर स्थिति से विज्ञ थी। श्री गणेशाजी व उनके परिवार के अन्य सदस्यो के मध्य आराजी के विभाजन व उसके बाद मौके पर हर पक्ष द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन किया गया। इसी प्रकार प्रतिउत्तरदाता संख्या 05 छगन से महेन्द्र कुमार व महेन्द्र कुमार से विक्रमसिंह व अरविन्द कुमार द्वारा प्रतिफल देकर इस प्रकरण की आराजी में छगन के निहित मौके पर विभाजित हिस्से को खरिद कर अपने उक्त हिस्से पर कब्जा कर लिया गया व उससे पुन प्रतिउत्तरदाता संख्या 03 द्वारा उक्त हिस्सा खरिद कर अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है जिसके चलते अपीलार्थीयागण मौजा साधू के नामान्तकरण संख्या 1595 के द्वारा अपना नाम दर्ज होने के तथ्य की नाम दर्ज उन्हें 1987 में जानकारी होने के बावजूद उस पर कोई कार्यवाही नहीं की व बाद में प्रतिउत्तरदाता संख्या 05 द्वारा अपना हिस्सा बैचान करने पर उप खण्ड अधिकारी जालोर में वाद पेश किया एवं परिसीमा धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील खारिज करने का निवेदन किया उसके पश्चात। दिनांक–23.09.2024 को अपने आदेश द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 की अपील स्वीकार की थी उसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर द्वारा दिनांक 23.09.2024 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की अपील स्वीकार की थी। अपीलान्ट जगरुपसिंह को अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.10.2024 की जानकारी तब हुई जब अपीलान्ट अपनी खातेदारी भूमि की देखभाल कर रहा था, तब रेस्पोडेन्ट लक्ष्मी देवी व अणसी देवी मोके पर आई तथा कहने लगी कि उक्त खातेदारी भूमि हमारे नाम दर्ज होने का आदेश पारित हो गया हैं कुछ दिनों बाद हमारा नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज हो जायेगा तब हम लोग तुम्हारी जमीन पर भी कब्जा कर देंगे तथा हमारे चहेतों लोगों को उक्त खातेदारी भूमि का बेचान कर देंगे तब अपीलान्ट जगरूपसिंह ने रेस्पोडेन्ट्स अणसी देवी व लक्ष्मी देवी को कहा कि मेरे द्वारा उक्त खातेदारी भूमि को जरिये बेचान रजिस्ट्री के खरीद की हुई हैं। मेरी रजिस्ट्री दस्तावेज को आज दिन तक किसी भी पक्षकार ने चुनौती न्यायालय में नहीं दी हैं। उसके पश्चात् अपीलान्ट ने अपने स्तर पर जालोर कचहरी में चारा जोही की तो जानकारी हुई कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 4 द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर के न्यायालय में नामान्तरकरण अपील प्रस्तुत की थी जिसमे दिनांक–23.09.2024 को प्रस्तुत अपील स्वीकार कर दी थी उसकी सम्पूर्ण पत्रावली की नकल हेतु अपीलान्ट ने दिनांक–04.10.2024 को आवेदन किया तथा दिनांक 08.10.2024 को अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक– 23.09.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई जिससें अपीलान्ट को जानकारी हुई जिससे व्यथीत

24.12.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

231

होकर अपने हितों की सुरक्षा हेतु उक्त अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की जा रही हैं।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर के निर्णय दिनाक 23.09.2024 को निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि –

मौजा–सांथू, पटवार हल्का–सांथू, भू.अभि.नि. क्षेत्र–बाकरा रोड, तहसील व जिला जालोर के पुराने खसरा नम्बर–105 रकबा 9 बीघा 17 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर–259, 262 व 321 एवं पुराने खसरा नम्बर–1224 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर–3232, 3233, 3226 इस प्रकार कुल रकबा–19 बीघा 12 बिस्वा की आराजी गणेशा पुत्र हीरका, जाति माली निवासी सांथू तहसील व जिला जालोर के नाम की से खातेदारी आराजी आई हुई है। हम रेस्पोडेण्ट के पिता गणेशा पुत्र हीरका का स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है तथा रेस्पोडेण्टस की माता गेरोदेवी का भी स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है, रेस्पोडेण्ट के पिता गणेशा पुत्र हीरका की वंशावली निम्न प्रकार है– गेरोदेवी(फौत) पत्नि गणेशा पुत्र हीरका (फौत), भूरा (फौत), देवा,डाया, छगना(पुत्र), पि. गणेशा, उजी (फौत) (पुत्री),लक्ष्मी (पुत्री),अणसी (पुत्री), पिंकी (पुत्री),माफी (पुत्री),आशी (पुत्री),पुत्रीया गणेशा, मृतक भूरा के वारिसान रंगूदेची (पत्नि),गोपाराम (पुत्र),दीपाराम (पुत्र),किशनाराम (पुत्र),सुरेश कुमार (पुत्र),कमला (पुत्री),नारंगी (पुत्री), इस प्रकार मृतक उजी के वारिसान नेमीचंद(पुत्र),लक्ष्मण (पुत्र) है।

अति. संभागीय आयुक्त पाली (राज.)

गणेशा पुत्र हीरका का स्वर्गवास होने के पश्चात् उपरोक्त वर्णित आराजी में फौतदगी म्यूटेशन संख्या–1595 दिनांक 07–06–1987 को राजस्व अभियान मजमें आम में नायब तहसीलदार जालोर द्वारा गणेशा के पुत्रो के नाम बाले बाले भरा गया, जबकि उक्त आराजी गणेशा पुत्र हीरका की पुश्तैनी खातेदारी आराजी में रेस्पो. के हिस्से हक खातेदारी के अधिकार जन्म से प्राप्त है पुश्तैनी आराजी में हमारा वाईवर्थ राईट होने से नामान्तकरण संख्या 1595 दिनांक 7.6.1987 खारीज फरमाया जावे। अपीलाण्ट डायाराम को छोडकर सभी रेस्पोडेन्ट इस म्युटेशन को खारीज कराने संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में अपील का जबाव पेश कर सहमति जाहिर की है। बहनो का नाम म्युटेशन में डाला जाये तो कोई आपत्ति नही है। रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता ने बताया कि उक्त अपील अपीलांट द्वारा उक्त अपील देरी से प्रस्तुत की है इस सम्बन्ध में एस.डी. ओ. कोर्ट में एक वाद बाबत खातेदारी अधिकार का दायर किया था, जिसमें दोनो पक्षो के लेने देने होने से उक्त वाद को अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज करवा दिया। अतः अपीलांट की अपील खारीज फरमावे। इस पर अपीलांट अधिवक्ता ने दावा की प्रति पेश कर निवेदन किया कि कोरोना काल में हमारे अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने एवं उक्त वाद में अपीलांट की भी मृत्यू हो जाने से उक्त पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज की गयी थी. जिसकी हमे जानकारी होते ही नये अधिवक्ता कर पत्रावली रेस्टोर करवायी है ।

प्रकरण में उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनरथ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश में यह कथन तो अंकित कर दिया की गणेशा की मृत्यु के पश्चात

24.12.24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

उनकी संतानो का नाम दर्ज होना चाहिए लेकिन पूर्व मे प्रस्तुत वाद बावत नये अधिवक्ता कर पत्रावली रेस्टोर करवायी गयी है, लेकिन परिसीमा अवधी बाबत कोई तथ्य न तो अंकित किया है और न ही उसका विशलेषन ही किया है तथा परिसीमा बाधित नही होने बाबत कोई फाईनडिंग ही अंकित नहीं की है तथा साथ ही मूल अनुतोष हेतु इसी बावत जब मूल वाद विचारणीय है तब ऐसी स्थिति मे उक्त अपील चलने योग्य नही रह जाती थी तथा अधीनस्थ न्यायालय उक्त अपील को विचाराधीन रखते हुए मूल वाद के निर्णित होने तथा उसी अनुरूप उक्त अपील को बाद मे सुनवाई कर निर्णित किये जाने का आदेश पारित कर सकता था, जो विधि अनुरूप आदेश होता लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र अपील निर्णित करने के एकमात्र उदेश्य से बिना विधिक प्रक्रिया को अपनाये अपीलीन आदेश काबिले अपास्त किये जाने योग्य है। वकील रेस्पोडेण्ट का कथन है कि पुश्तैनी आराजी में हमारा वाईवर्थ राईट होने से नामान्तकरण संख्या 1595 दिनांक 7.6.1987 खारीज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषको की बहस पर मनन किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलाट एवं रेस्पोडेन्टगणो की पुश्तैनी आराजी है जो कि गणेशा से प्राप्त हुई है. एवं गणेशा की मृत्यु के उपरान्त उसकी आराजी में उसके समस्त जायंदा संतानो (पुत्र–पुत्रीयो) का समान हिस्सा उक्त आराजी में दर्ज होना चाहिए था, जबकि गणेशा की मृत्यु पर मात्र उनके पुत्र संतानो का नाम ही उक्त रेकार्ड में दर्ज हुआ है। इस स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.9.2024 उचित है। विधिक रूप से उचित है। एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.09.2024 में कोई हस्तक्षेप करना आवश्यक नही है। अतः अपीलाण्ट का एतराज मान्य नही है। प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 23.09.2024 विधि सम्मत पारित किया गया है । तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।

अतः प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जालोर का निर्णय दिनांक 23.09.2024 विधि सम्मत पारित किया गया है। तदानुसार यह अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है।निर्देशित किया जाता है कि म्युटेशन संख्या 1595 को खारीज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

24.12.2024
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)